जवाब दावा ... के आधार पर वादी ...
तनकीयात के आधार पर तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने
को प्रतिक्षित रखा तथा दस्तावेजात प्रस्तुत ... बहस सुनी गई।
तत्पश्चात वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई।
प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है :-

1. वाद ग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी की है अतः वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का हक रखता है तथा उस पर नवीन रास्ता कायम करने भूमि को नष्ट भ्रष्ट करने से पाबंद करवाने का हक रखता है अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

2. विवादग्रस्त आराजी के अलावा अन्य रास्ता उपलब्ध है जो मदरसे है तथा ख.नं. 213/5 व 213/3 के बीच से रास्ता है, अतः नया रास्ता किये जाने का औचित्य नहीं है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध व वादी के पक्ष में तय की जाती है,

3. वादीगण ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की प्रार्थना की है तथा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का हक अधिकार न्यायालय को है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध तय की जाती है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

(नियम26)

ालत एस0डी0ओ0 मुकाम सरवाड़

बनाम

ुदमा नं. सन्

्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए।
	तथा वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण व उनके रिश्तेदारान नौकर चाकर इत्यादि को हमेशा के लिए अबके स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा नवीन रास्ता कायम नहीं करें। इस आशय की डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। सदस्य लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर) अध्यक्ष लोक अदालत शिविर सरवाड़ (अजमेर) सदस्य लोक अदालत सरवाड़	

Scanned by CamScanner